रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 756] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015 /CHAITRA 20, 1937

IndiaCode

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 984(अ).—जबकि, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967(1967 की 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) को व्यक्तियों एवं संगम के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापों एवं उनसे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

तथा जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा(1) के खण्ड (ड) के अंतर्गत आतंकवादी संगठन से अभिप्रेत एक ऐसा संगठन है जिसका नाम उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध हो अथवा वह संगठन जो इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहा हो;

तथा, जबकि, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों के नाम शामिल हैं और हरकत –उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी का नाम क्रम सं. 7 पर विनिर्दिष्ट किया गया है;

तथा जबकि, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन ने अंसार-उल-उम्माह के नाम से एक अग्रणी संगठन का सृजन किया है, जो आतंकवादी क्रियाकलापों, विशेषत: जम्मू कश्मीर राज्य में, के इस्तेमाल की वकालत करता है और पड़ोसी देशों में इसके कार्यालय तथा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं;

तथा जबकि, अंसार-उल-उम्माह पाकिस्तान के जमात-उल-दावा का एक सदस्य है और लश्कर-ए-तैयब, जो उक्त अनुसूची के क्रम सं. 5 पर उल्लिखित एक आतंकवादी संगठन है, से भी संबद्ध है;

तथा जबकि, केन्द्र सरकार का यह विश्वास है कि अंसार-उल-उम्माह एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद में संलिप्त है, इसलिए वह उक्त संगठन तथा उसके सभी रूपों को उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में शामिल करने का निर्णय लेती है;

अत: अब, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तदन्तर संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम सं.7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन अथवा हरकत-उल-अंसार अथवा हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी अथवा अंसार-उल-उम्माह (एयूयू)"।

[फा. सं.11034/24/2014-आईएस-VI]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 984(E).– Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, under clause (m) of Sub-section (1) of Section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the Schedule to the said Act contains the names of such terrorist organisations and the name of Harkat-Ul-Mujahideen / Harkat-Ul-Ansar / Harkat-Ul-Jehad-E-Islami has been specified at Serial Number 7 thereof;

And whereas, the Harkat-Ul-Mujahideen has created a front organisation by the name Ansar-Ul-Ummah, which advocates the use of terrorist activities, particularly in Jammu & Kashmir State, and has offices and terrorist training camps in the neighbouring countries;

And whereas, Ansar-Ul-Ummah is one of the Members of Jamat-Ud-Dawa of Pakistan and is also associated with Lashker-e-Toiba, a terrorist organisation mentioned at Serial Number 5 of the said Schedule;

And whereas, the Central Government believes that the Ansar-Ul-Ummah is a terrorist organisation and is involved in terrorism has decided to add the said organization and all its manifestations in the First Schedule to the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) read with Sub-section (2) and (3) of Section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"7. Harkat-Ul-Mujahideen or Harkat-Ul-Ansar or Harkat-Ul-Jehad-E-Islami or Ansar-Ul-Ummah (AUU)."

[F.No. 11034/24/2014-IS.VI]

M.A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.